18/2/26

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से जमा हो।

निर्णय सुनाया गया।

92 नं
18-02-26

GCMS
2025/572

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– भरत जयप्रकाश मीणा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 244/2025 GCMS-2025/572 दायरा दिनांक : 15.09.2025

पृथ्वीराज पुत्र श्री भादरराम जाति नाई निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। –प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू. धारक –अप्रार्थी

उपस्थिती : एडवोकेट सुरेन्द्र सुथार – प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वादपत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) सहपठित धारा 8 (2) कालो एक्ट

निर्णय दिनांक : 18.02.26

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में विचारण तथ्य यह है कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ की रोही टिल्लावाली के खसरा नं. 78/2 में 7.590 है0 में से 2.530 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व तहसील सूरतगढ़ की रोही टिल्लावाली के खसरा नं. 44/5 में 14.737 है0 बारानी भूमि आराजी राज रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तहसील सूरतगढ की रोही टिल्लावाली के खसरा नं. 44/5 में 14.737 है0 बारानी रकबा के पश्चिमी पासा में उतर से दक्षिण की तरफ सूरतगढ़ से भोजेवाला सड़क चालु है। जिससे जोड़ते हुए प्रार्थी आराजी राज रकबा तहसील सूरतगढ़ की रोही टिल्लावाली खसरा नं. 44/5 में रकबा में से सूरतगढ़ से भोजेवाला के रास्ता को जोड़ते हुए अपनी खातेदारी भूमि तहसील सूरतगढ़ की रोही टिल्लावाली के खसरा नं. 78/2 में 7.590 है0 में से 2.530 है0 बारानी भूमि तक पूर्व से पश्चिम की तरफ लगभग 7.00 बीघा लम्बाई में 2–2 बिस्वा भूमि चौड़ाई में, प्रार्थी की खातेदारी भूमि को जोड़ते हुए रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में मंजूर करवाकर दर्ज करवाना चाहता है। तहसील सूरतगढ़ की रोही टिल्लावाली के खसरा नं. 44/5 में राज रकबा के पश्चिम की तरफ सूरतगढ़ से भोजेवाला रास्ता को जोड़ते हुए पूर्व से पश्चिम की तरफ लगभग 7.00 बीघा लम्बाई में 2–2 बिस्वा चौड़ाई में पुराना रास्ता कई वर्षों से चालु है। उक्त रास्ते से प्रार्थी आवागमन करता है मौका पर जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु मौका पर ... रास्ता जोड़ता है इसलिये प्रार्थी आराजी रकबा तहसील सूरतगढ़ की रोही टिल्लावाली के खसरा नं. 78/2 में 7.590 है0 में से 2.530 है0 बारानी भूमि रकबा में से लगभग 7.00 बीघा लम्बाई में 2–2 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 02 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

चौड़ाई में उक्त खसरा नम्बरान में चालु रास्ता को प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है मौका पर उक्त चालु रास्ता के अलावा प्रार्थी के खातेदारी भूमि में कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता चालु नही है। प्रार्थी को उक्त रास्ता की अत्यान्तिक आवश्यकता है इसलिये प्रार्थी के खातेदारी रकबा में आवागमन करने के लिए मौका पर चालु रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से मौका व रिकॉर्ड की रिपोर्ट मांगी गयी। मौका एंव रिकॉर्ड की निर्धारित प्रपत्र पर तहसीलदार सूरतगढ़ की अनुशंषा प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। दर्ज रजिस्टर होने के बाद प्रकरण पर वकील प्रार्थी ने बहस करते हुए बहस में प्रार्थनापत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र में अंकित प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक आने जाने के लिए प्रार्थनापत्र में अंकित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थनापत्र में अंकित रास्ते को डी.एल.सी. दर से मंजूर कर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमाये जावे।

अतः पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एंव तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ की प्राप्त रिपोर्ट का निरीक्षण करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित समझतें है।

पत्रावली उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया कि प्रार्थी के नाम अंकित भूमि तहसील सूरतगढ़ की रोही टिल्लावाली के खसरा नं. 78/2 में 7.590 है0 में से 2.530 है0 बारानी भूमि में आवागमन करने के लिए मौका पर रोही टिल्लावाली के खसरा नं. 44/5 में लगभग 7.00 बीघा लम्बाई में 2–2 बिस्वा उक्त खसरा नम्बरान में सें पूर्व से पश्चिमी दिशा की तरफ सूरतगढ़ से भोजेवाला सड़क को जोड़ते हुए प्रार्थी के खातेदारी भूमि तक चालु रास्ता को स्वीकृत किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत रास्ता की एवज में टिल्लावाली के खसरा नं. 44/5 में लगभग 7.00 बीघा लम्बाई में 2–2 बिस्वा यानि 0.1771 है0 भूमि की डी.एल.सी. राशि जमा होने के उपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु.रास्ते के नाम अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।